



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1028]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2011/ज्येष्ठ 9, 1933

No. 1028]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 2011/JYAISTHA 9, 1933

कापॉरिट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2011

का.आ. 1230(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जून, 2011 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम [प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 39) की धारा 37 द्वारा अंतःस्थापित] की धारा 43क प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 5/4/2003-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2011

S.O. 1230(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints the 1st day of June, 2011 as the date on which Section 43A of the said Act [inserted by Section 37 of the Competition (Amendment) Act, 2007] (39 of 2007)] shall come into force.

[F. No. 5/4/2003-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2011

का.आ. 1231(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जून, 2011 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 44 प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 5/4/2003-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2011

S.O. 1231(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints the 1st day of June, 2011 as the date on which Section 44 of the said Act shall come into force.

[F. No. 5/4/2003-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.